

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक / / 2023

क्रमांक /17/रूसा/सी.सी./22/38 : आत्मनिर्भर म.प्र. 2023 के तहत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित 19 स्वशासी महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापित करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम
1.	महारानी लक्ष्मी बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, भोपाल
2.	शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल
3.	शासकीय गीतांजली कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल
4.	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
5.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, सागर
6.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया
7.	शासकीय कमलाराजे स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर
8.	शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर
9.	माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर
10.	शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
11.	शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर
12.	शासकीय मोहनलाल हरगोविन्ददास गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
13.	शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर
14.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा
15.	शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा
16.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना
17.	शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी
18.	शासकीय एम.एल.बी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर
19.	शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन

2. स्वशासी महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर हेतु संसाधनों की व्यवस्था एवं संचालन के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरन्तर 2

पृ.क्रमांक 139 /17/रूसा/सी.सी/22/38

भोपाल, दिनांक 22.02.2023

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
4. परियोजना संचालक, राज्य परियोजना संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
6. वित्त नियंत्रक, रूसा की ओर सूचनार्थ ।
7. संबंधित प्राचार्य, स्वशासी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित कोषालय / उप कोषालय अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।



अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग